

यह अध्याय वित्त लेखे की लेखापरीक्षा के आधार पर राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तनों का विश्लेषण एवं 31 मार्च 2021 को बिहार सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है।

### 1.1 राज्य की रूपरेखा

बिहार एक भूमि से घिरा राज्य है, जो पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल के साथ एक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। यह भौगोलिक आकार (94,163 वर्ग कि०मी०) के मामले में भारत का बारहवाँ सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या (12.42 करोड़) के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है और राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज संपदा नहीं है। जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है, जनसंख्या का घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० (2001) से बढ़कर 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० (2011) हो गया है। अखिल भारतीय औसत की तुलना में बिहार में गरीबी का स्तर अधिक है। राज्य ने 2011-12 से 2020-21 (पी०) की अवधि के लिए आर्थिक विकास में वृद्धि दिखाई है क्योंकि इसकी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी०ए०जी०आर०) अखिल भारत के 9.48 प्रतिशत की तुलना में 10.73 प्रतिशत रही है। बिहार एक सामान्य श्रेणी का राज्य है और पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान के अनुसार, बिहार के जी०एस०डी०पी० की मानक मूल्यांकन वार्षिक वृद्धि दर (-)9 प्रतिशत थी और इसकी जी०एस०डी०पी० की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर 11 प्रतिशत रही है। राज्य की प्रति व्यक्ति जी०एस०डी०पी० 2020-21 के अंत में ₹ 50,555 थी जबकि झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति जी०एस०डी०पी० क्रमशः ₹ 81,801, ₹ 73,422, ₹ 1,18,842 और ₹ 1,32,212 थी।

#### 1.1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) एक निश्चित अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जी०एस०डी०पी० की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक निश्चित अवधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन के परिमाण को दर्शाती है।

भारत के जी०डी०पी० और राज्य के जी०एस०डी०पी० की वार्षिक वृद्धि का वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य पर रुझान (आधार वर्ष: 2011-12) **तालिका 1.1** में दिया गया है।

**तालिका 1.1: जी०डी०पी० की तुलना में जी०एस०डी०पी० की प्रवृत्ति**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
<b>वर्तमान मूल्य</b>					
वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,86,957	2,03,51,013	1,97,45,670
पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.76	11.03	10.51	7.75	(-) 2.97
वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	4,21,051	4,68,746	5,27,976	5,94,016	6,18,628
पिछले वर्ष की तुलना में जी०एस०डी०पी० की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.31	11.33	12.64	12.51	4.14
सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशतता	2.74	2.74	2.80	2.92	3.13
<b>स्थिर मूल्य (आधार वर्ष)</b>					
स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	1,23,08,193	1,31,44,582	1,40,03,316	1,45,69,268	1,35,12,740
स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	3,18,797	3,44,028	3,81,383	4,09,645	4,19,883
पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.52	6.80	6.53	4.04	(-) 7.25
पिछले वर्ष की तुलना में जी०एस०डी०पी० की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.43	7.91	10.86	7.41	2.50


(स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन)

बिहार की जी0एस0डी0पी0 में वृद्धि पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्तमान और स्थिर दोनों मूल्यों पर अखिल भारतीय औसत से अधिक था।

### 1.1.2 क्षेत्रीय संरचना

आर्थिक गतिविधि को आमतौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। अर्थव्यवस्था के बदलते ढांचे को समझने के लिए जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रीय योगदान में बदलाव को समझना महत्वपूर्ण है। 2016-17 और 2020-21 तक जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन को चार्ट 1.1 में दिखाया गया है।

चार्ट 1.1: जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन (2016-17 और 2020-21)




(स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन)

वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र का क्षेत्रीय विकास में अप्रत्याशित कमी फसलों, पशुधन, वानिकी और सिल्ली निर्माण में नकारात्मक वृद्धि के कारण 15.50 प्रतिशत से घटकर 4.40 प्रतिशत हो गया था।

पिछले वर्ष की तुलना में द्वितीयक और तृतीयक (सेवा) क्षेत्रों की वृद्धि दर में कमी आई है। चार्ट 1.2 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रीय विकास को दर्शाता है।

चार्ट 1.2: जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत वृद्धि



(स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन)

2020-21 के दौरान तीनों क्षेत्रों के क्षेत्रगत विकास दर में पिछले वर्ष की तुलना में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है, प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र में 2019-20 की तुलना में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है।

## 1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0) का किसी राज्य के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाना है, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए प्रेरित करेगा। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस0एफ0ए0आर0) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषागारों द्वारा प्रस्तुत अभिश्रवों, चालानों, प्रारंभिक एवं सहायक लेखों, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों तथा विभागों, जो इस तरह के लेखों के रख-रखाव के लिए जिम्मेवार हैं, तथा रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणी के आधार पर प्रतिवर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है और इसे नि.म.ले.प. द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आँकड़े हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: अनुमानों के साथ-साथ राजकोषीय मानकों और आवंटन की प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषागारों के पास अन्य आँकड़े (लेखा के साथ-साथ एम0आई0एस0);
- जी0एस0डी0पी0 आँकड़े और राज्य से संबंधित अन्य आँकड़े; तथा
- भारत के नि0म0ले0प0 का विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बी0एफ0आर0बी0एम0) अधिनियम 2006 तथा भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों के आलोक में भी यह विश्लेषण किया जाता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर वित्त विभाग के साथ दिसम्बर 2021 में आयोजित एकजट सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई। विभाग से प्राप्त जवाबों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

### 1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य के वित्त प्रतिवेदन को निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है:

#### अध्याय - I अवलोकन

यह अध्याय, प्रतिवेदन और अंतर्निहित आँकड़ों के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है, जो सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के समग्र राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

#### अध्याय - II राज्य के वित्त

यह अध्याय, राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, एवं राज्य के वित्त लेखों के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संग्रह में 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र रुझान, राज्य की ऋण संरचना और प्रमुख लोक लेखा संव्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

#### अध्याय - III बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन की प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन को प्रतिवेदित करता है।

#### अध्याय - IV लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

#### अध्याय - V राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों जैसा कि उनके लेखाओं से पता चलता है, के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है।

### 1.4 सरकारी लेखे की संरचना एवं बजटीय प्रक्रिया

राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

#### 1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाये गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और राज्य सरकार को ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि से विधि के अनुसार तथा उद्देश्यों के लिए एवं भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी भी धन को विनियोजित नहीं

किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि), राज्य की संचित निधि (भारत व्यय) पर एक प्रभार निर्मित करती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

## 2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन स्थापित किया गया है और इसे राज्यपाल के निपटान में वैसे आकस्मिक व्ययों, जिनका राज्य मंडल विधायिका से प्राधिकृत किया जाना लंबित है, को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर उपयोग करने के लिए रखा गया है। राज्य की संचित निधि से संबंधित कार्यकारी मुख्य शीर्ष पर व्यय को नामे करके निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

## 3. राज्य के लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक निधि, जहाँ सरकार बैंक या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में पुनर्भुगतेय जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों अस्थायी शीर्ष हैं, अंतिम लेखांकन लंबित) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा में शामिल होते हैं। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

भारत में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अलावा, बजट में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग रखना चाहिए।

**राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

**राजस्व व्यय** में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) पर किए गए खर्चों से संबंधित होते हैं।

**पूँजीगत प्राप्तियों** में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के तहत शुद्ध लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली;


**पूँजीगत व्यय** में भूमि के अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेरों में निवेश, और सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य पक्षों को ऋण और अग्रिम पर व्यय शामिल होते हैं।

वर्तमान में, सरकार के पास एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यकारी और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
सी.जी.ए द्वारा मुख्य व लघु शीर्ष सूची में मानकीकृत	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग उप कार्य कार्यक्रम	अनुदान के तहत मुख्य शीर्ष (4-अंकीय) उप मुख्य शीर्ष (2-अंकीय) लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों के लिए छोड़ा गया लचीलापन	योजना उप योजना आर्थिक प्रकृति/ गतिविधि	उप-शीर्ष (2-अंकीय) विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय) विषय शीर्ष-वेतन, लघु कार्य, आदि (2-अंकीय)

कार्यकारी वर्गीकरण के द्वारा विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के विषय को समझा जाता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। मुख्य शीर्षों में निहित पहले अंक के आधार पर आर्थिक वर्गीकरण का पता चलता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण भी कुछ विषय शीर्षों की एक अंतर्निहित परिभाषा और वितरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतया "वेतन" विषय शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" विषय शीर्ष पूँजीगत व्यय है। वस्तु शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

### सरकारी लेखे की संरचना



### बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल, राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 203 के अनुसार, राज्य विधानमंडल को अनुदानों/विनियोगों हेतु मांगों के रूप में विवरण

प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, अनुच्छेद 204 के तहत संचित निधि से आवश्यक धन के विनियोजन हेतु विनियोग विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

राज्य बजट संहिता, बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी में मार्गदर्शन करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा राज्य सरकार की अन्य बजटीय क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय III में वर्णित है।

### 1.4.1 संक्षिप्त वित्तीय परिदृश्य

नीचे दी गई तालिका वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के साथ वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा वर्ष 2019-20 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करता है।

तालिका 1.2: वित्तीय वर्ष 2020-21 के वास्तविक वित्तीय परिणाम की तुलना बजट अनुमान एवं वर्ष 2019-20 के वास्तविक के साथ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	घटक	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	जी०एस०टी०पी० से वास्तविक की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	30,158	34,750	30,342	87.32	4.90
2.	करेत्तर राजस्व	3,700	5,239	6,201	118.36	1.00
3.	संघीय कर का अंश	63,406	91,181	59,861	65.65	9.68
4.	सहायता अनुदान और अंशदान	26,969	52,754	31,764	60.21	5.13
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,24,233	1,83,924	1,28,168	69.69	20.72
6.	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	30	428	821	191.82	0.13
7.	अन्य प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
8.	उधारी एवं अन्य दायित्व (अ)	29,145	27,609	35,915	130.08	5.81
9.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	29,175	28,037	36,735	131.02	5.94
10.	कुल प्राप्तियाँ (5+9)	1,53,408	2,11,961	1,64,904	77.80	26.66
11.	राजस्व व्यय	1,26,017	1,64,751	1,39,493	84.67	22.55
12.	ब्याज भुगतान	10,991	12,925	12,484	96.59	2.02
13.	पूँजीगत व्यय	12,304	38,745	18,209	47.00	2.94
14.	ऋण एवं अग्रिम	666	1,230	1,114	90.57	0.18
15.	कुल व्यय (11+13+14)	1,38,987	2,04,726	1,58,816	77.57	25.67
16.	राजस्व आधिक्य/घाटा (5-11)	(-1,784)	19,173	(-11,325)	(-) 59.07	(-) 1.83
17.	राजकोषीय घाटा {15-(5+6+7)}	14,724	20,374	29,827	146.40	4.82
18.	प्राथमिक घाटा (17-12)	3,733	7,449	17,343	232.82	2.80

(स्रोत: 2020-21 के वित्त लेखे और राज्य के बजट का सारांश)

₹1 करोड़ का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

(अ) उधार और अन्य देनदारियां: निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ - सवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ - सवितरण) + निवल आरंभिक और अंतिम नकद शेष

- यह देखा गया कि 2020-21 के लिए राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 2019-20 के वास्तविक अनुमान से 48.05 प्रतिशत अधिक था। तथापि, वास्तविक प्राप्ति अनुमान से 30.31 प्रतिशत कम थी, जो दर्शाता है कि राजस्व प्राप्ति का अनुमान बढ़ा दिया गया था। राजस्व प्राप्ति में संघीय करों के अंश के अंतर्गत निगम कर (16.45 प्रतिशत) और सीमा शुल्क (20.87 प्रतिशत) में पिछले वर्ष की तुलना में कम संग्रहण देखा गया था। इसके अलावा, करेत्तर राजस्व के तहत ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 2,600 करोड़) और लाभांश (₹ 603.01 करोड़) पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,935 करोड़ की वृद्धि का कारण था (विवरण बाद के कंडिका में है)।
- जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति, जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि, वर्ष 2020-21 के दौरान जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण, राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 4,359.28 करोड़ का जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के

अलावा, बिहार को राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के तहत ₹ 3,905.00 करोड़ का बैंक-दू-बैंक ऋण भी प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं थी। इस समझौते के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 11,325.11 करोड़ का राजस्व घाटा और ₹ 29,827.25 करोड़ का राजकोषीय घाटा जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के बदले में ₹ 3,905.00 करोड़ की ऋण प्राप्ति के संयोजन के रूप में पढ़ा जा सकता है।

- वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में 10.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में 3.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई, फिर भी 2018-19 (₹ 1,31,794 करोड़) की तुलना में 2.75 प्रतिशत कम थी। राज्य को अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में अधिक धन (23.23 प्रतिशत की वृद्धि) उधार लेना पड़ा। नीचे दी गई तालिका 1.3 प्राप्तियों और व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.3: प्राप्तियों और व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व		राजस्व प्राप्तियों में राजस्व व्यय का प्रतिशत	पूँजीगत		पूँजीगत प्राप्तियों में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
2016-17	1,05,585	94,765	89.75	21,600	27,208	125.96
2017-18	1,17,447	1,02,624	87.38	13,191	28,907	219.14
2018-19	1,31,794	1,24,897	94.77	20,493	21,058	102.76
2019-20	1,24,233	1,26,017	101.44	29,175	12,304	42.17
2020-21	1,28,168	1,39,493	108.84	36,735	18,209	49.57

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- राजस्व के रूप में प्राप्त प्रत्येक ₹ 100 के विरुद्ध, राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त नौ रूपया उधार लेना पड़ा।
- यद्यपि पूँजीगत व्यय कम हो रहा है, राजस्व व्यय बहुत तेज दर से बढ़ रहा है।

पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत प्राप्तियों में 25.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूँजीगत व्यय में 47.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, राज्य का राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 6.35 गुना और 2.03 गुना बढ़ गया।

#### 1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियाँ और देनदारियों का संक्षिप्त परिदृश्य

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से बनाई गई संपत्ति को समाहित करते हैं। देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियाँ और आरक्षित निधियाँ शामिल हैं, तथा संपत्ति में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएँ				परिसंपत्तियाँ					
	2019-20	2020-21	वृद्धि प्रतिशत में		2019-20	2020-21	वृद्धि प्रतिशत में		
समेकित निधि									
अ	आंतरिक ऋण	1,36,082.09	1,59,557.50	17.25	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	2,17,479.32	2,35,687.92	8.37
ब	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	12,098.16	17,657.35	45.95	ब	ऋण एवं अग्रिम	21,450.23	21,743.77	1.37
आकस्मिकता निधि		350.00	350.00	0.00					



देयताएँ					परिसंपत्तियाँ				
		2019-20	2020-21	वृद्धि प्रतिशत में			2019-20	2020-21	वृद्धि प्रतिशत में
लोक लेखा									
अ	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	9,279.09	9,445.38	1.79	अ	अग्रिम	249.96	249.96	0
ब	जमा	35,373.24	39,634.21	12.05	ब	प्रेषण	1,916.87	1,118.43	(-) 41.65
स	आरक्षित निधि	6,289.49	6,641.19	5.6	स	उचत तथा विविध	10,498.30	15,378.20	46.48
द	उचत तथा विविध शेष	63.85	110.99	73.83	रोकड़ शेष (निर्धारित निधियों में निवेश सहित)	24,912.65	24,864.64	(-) 0.19	
इ	अंतर्राज्यीय समाशोधन	74.01	74.01	0					
फ	सरकारी लेखा पर अधिकाई	76,897.40	65,572.29	(-) 14.73					
कुल		2,76,507.33	2,99,042.92		कुल		2,76,507.33	2,99,042.92	

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

### 1.5 राजकोषीय संतुलन: राजकोषीय घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

बिहार सरकार द्वारा बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 एवं संशोधन अधिनियम, 2016 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमता सुनिश्चित कर राजस्व घाटे को समाप्त करना, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करना, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करना तथा मध्यम अवधि की रूपरेखा में पारदर्शिता लाना है। इस संदर्भ में, यह अधिनियम घाटे और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले परिमाणात्मक लक्ष्य को निर्धारित करता है।

तालिका 1.5: बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	मध्यावधि राजकोषीय नीति अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व घाटा(-) / आधिक्य(+) (₹ करोड़ में)	राजस्व आधिक्य	10,819.81	14,823.01	6,896.64	(-) 1,784.13	(-) 11,325.11
		✓	✓	✓	✗	✗
राजकोषीय घाटा(-) / आधिक्य(+) (जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशतता के रूप में)	वर्ष 2019-20 तक 3.00 प्रतिशत वर्ष 2020-21 के लिए 5.00 <sup>1</sup> प्रतिशत	(-)16,479.15 (3.91)	(-)14,304.83 (3.05)	(-)13,806.76 (2.62)	(-)14,723.93 (2.48)	(-) 29,827.25 (4.82)
		✗	✗	✓	✓	✓
कुल लंबित ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात (प्रतिशत में)	वर्ष 2019-20 तक 28 प्रतिशत वर्ष 2020-21 के लिए 41.20 <sup>2</sup> प्रतिशत	32.95	33.45	31.99	32.56	36.09 <sup>#</sup>
		✗	✗	✗	✗	✓

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे एवं बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम)

- वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बिहार गजट (असाधारण) 31 मार्च 2021 के माध्यम से बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 की धारा 9 की उप-धारा 2 (बी) (1) में निर्धारित सीमा से दो प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।
  - पंद्रहवें वित्त आयोग में अनुशंसित राज्य सरकार के सांकेतिक ऋण पथ के अनुसार 2020-21 के लिए ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात को 41.20 प्रतिशत बनाए रखा जाना था।
- <sup>#</sup> कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक-दू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 3,905 करोड़ के जी0एस0डी0 क्षतिपूर्ति को छोड़कर प्राप्त हुआ।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राजस्व घाटा ₹ 11,325.11 करोड़ था जो एम0टी0एफ0पी0 में राजस्व अधिशेष के अनुमानों (₹ 19,173 करोड़) से काफी कम था। इस प्रकार, बजट की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अधिक गिरावट और व्यय पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण के कारण राजस्व घाटे में वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य और वार्षिक उधार सीमा बिहार गजट (असाधारण) 31 मार्च 2021 के माध्यम से बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 की धारा 9 की उप-धारा 2 (बी) (1) में निर्धारित सीमा से दो प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। राज्य ने बताया कि पंद्रहवें वित्त आयोग में अनुशंसित राज्य सरकारों के सांकेतिक ऋण पथ के अनुसार 2020-21 के लिए ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात को 41.20 प्रतिशत रखना था। राजकोषीय घाटा और ऋण से जी0एस0डी0पी0 अनुपात क्रमशः संशोधित लक्ष्य और पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अंतर्गत था।

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम0टी0एफ0पी0) में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों के लक्ष्यों की तुलना वर्तमान वर्ष के लिए संबंधित वास्तविक आँकड़े के साथ नीचे तालिका 1.6 में दी गई है:

तालिका 1.6: 2020-21 के लिए एम0टी0एफ0पी0 में प्रस्तावित अनुमान की तुलना में वास्तविक आँकड़े

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजकोषीय परिवर्तनीयता	एम0टी0एफ0पी0 में अनुमानित	वास्तविक (2020-21)	अंतर (प्रतिशत में)
1	स्वकर राजस्व	34,750.00	30,341.67	(-) 12.69
2	करेत्तर राजस्व	5,239.28	6,201.38	18.36
3	केन्द्रीय कर का अंश	91,180.60	59,861.41	(-) 34.35
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	52,754.10	31,763.88	(-) 39.79
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,83,923.98	1,28,168.34	(-) 30.31
6	राजस्व व्यय	1,64,751.19	1,39,493.45	(-) 15.33
7	राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (5-6)	19,172.79	(-) 11,325.11	159.07
8	राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+)	(-) 20,374.00	(-) 29,827.25	(-) 46.40
9	ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात (प्रतिशत)	23.90	36.09 <sup>#</sup>	
10	चालू मूल्यों पर जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.72	4.14	

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के लिए वित्त लेखे एवं बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम)


वित्त लेखों के अनुसार कुल बकाया ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात 36.73 प्रतिशत है। हालांकि, प्रभावी ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात (36.09 प्रतिशत) कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 3,905 करोड़ के जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति को छोड़कर किया गया है, जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने तय किया है कि यह वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने अपने एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। पिछले दो वर्षों में राजस्व घाटे में लगातार वृद्धि हुई है। 2017-18 में ₹ 14,823 करोड़ का राजस्व अधिशेष घटकर 2020-21 में ₹ (-)11,325.11 करोड़ (176.40 प्रतिशत) हो गया जैसा कि चार्ट 1.4 में दिखाया गया है। सभी राजकोषीय परिवर्तनीयता में कमी का मुख्य कारण संघीय करों के हिस्से की कम प्राप्ति (34.35 प्रतिशत), भारत सरकार से सहायता अनुदान (39.79 प्रतिशत) और स्व-कर राजस्व का अनुमान से कम संग्रह (12.69 प्रतिशत) था।

तीन प्रमुख राजकोषीय मानदंड यथा, (i) राजस्व अधिशेष/घाटा, (ii) राजकोषीय घाटा और (iii) प्राथमिक घाटा सरकार की वित्तीय स्थिति का आकलन करने में मदद करता है। इनकी गणना इस प्रकार से की जाती है कि वे सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में सहायक हो। राजकोषीय


मानदंडों की प्रवृत्ति और राजकोषीय देनदारियों तथा जी0एस0डी0पी0 के विश्लेषण को चार्ट 1.3 और चार्ट 1.4 में दिखाया गया है।

चार्ट 1.3: घाटे के मानकों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.4: राजकोषीय देनदारियों और जी0एस0डी0पी0 की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2020-21 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में आंतरिक ऋण में 17.25 प्रतिशत (₹ 23.48 हजार करोड़), लोक लेखा देयताओं में 10.57 प्रतिशत (₹ 4.78 हजार करोड़) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 45.95 प्रतिशत (₹ 5.56 हजार करोड़) की वृद्धि के कारण राजकोषीय देनदारियों में 17.49 प्रतिशत (₹ 33.82 हजार करोड़) की वृद्धि हुई।

## 1.6 लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा

लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद, राज्य सरकार के कुछ वित्तीय लेन-देन जिनकी संबंधित लेखा प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप राजस्व और पूँजीगत लेखा शीर्षों के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण हुआ है, निम्नलिखित खंड ऐसे चिन्हित वित्तीय संव्यवहार का वर्णन करता है।

### 1.6.1 लेखापरीक्षा के बाद-घाटा

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करता है। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों को स्थगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना में कम योगदान, निक्षेप और मोचन निधि आदि भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आकलन पर ऐसी अनियमितताओं का प्रभाव तालिका 1.7 में देखा जा सकता है।

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्त (+)) (₹ करोड़ में )	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्त (+)) (₹ करोड़ में )	कंडिका संदर्भ
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम योगदान	23.04	23.04	2.4.2.3
राजस्व के बजाय पूँजी अनुभाग के तहत गलत वर्गीकरण दर्ज किया गया	351.96	-	2.4.4.1
राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा	17.78	17.78	4.2
ब्याज देनदारियों का निर्वहन न करना	314.40	314.40	4.2
कंपनियों, निगमों या अन्य निकायों में किए गए निवेश/ऋण जो घाटे में चल रहे हैं या जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है (पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का मुद्दा)	-	35.64	2.4.3.2
<b>योग</b>	<b>707.18</b>	<b>390.86</b>	

(स्रोत: वित्त लेखा और लेखापरीक्षा विश्लेषण)

प्रभावी रूप से, अभिलेखों की जांच के परिणामस्वरूप, राज्य का राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, जो क्रमशः ₹ 11,325 करोड़ और ₹ 29,827 करोड़ था, वास्तव में उस सीमा तक क्रमशः ₹ 12,032.18 करोड़ और ₹ 30,217.86<sup>3</sup> करोड़ होता।

<sup>3</sup> उच्चतम लेखा के अंतर्गत रखे गए ₹ 4,548.13 करोड़ के व्यय को शामिल नहीं किया गया जैसा कि एन0टी0ए0 में बताया गया है।